संख्या-13 /2019/635 /77-3-2019-06बजट/16

प्रेषक,

अनिल कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर,
लखनऊ ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 करोड में से यूटीलिटी शिफ्टिंग आदि मदों में शासनादेश सं0-12/2018/1413/77-3-2018-06बजट/16 दिनांक 20.04.2018 द्वारा आवंटित धनराशि रू0 400.00 करोड में से रू0 10.00 करोड भूमि अधिग्रहण मद में व्यय करने की अनुमति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-6754/यूपीडा/लेखा/17/599-2, दिनांक 14.03.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत धनराशि रू0 1000.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है जिसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु संबंधित जनपदों को भूमि क्रय मद में शासनादेश सं0-11/2018/1171/77-3-18-06बजट/16 दिनांक 16.04.2018 द्वारा रू0 450.00 करोड, शासनादेश सं0-15 /2018/1803/77-3-2018-06बजट/16टी0सी0, दिनांक 21.05.2018 द्वारा रू0 60.00 करोड एवं शासनादेश सं0-18 /2018/2182/77-3-2018-06बजट/16टी0सी0, 02.07.2018 द्वारा रू0 90.00 करोड अर्थात कुल रू0 600.00 करोड की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई। यूटीलिटी शिफ्टिंग आदि मदों में शासनादेश संख्या-12/2018/1413/77-3-2018-06बजट/16 दिनांक 20.04.2018 द्वारा धनराशि रू0 400.00 करोड स्वीकृत की गई है। यूपीडा के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24.01.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 400.00 करोड में से रू0 300.00 करोड का आहरण कोषागार से कर व्यय किया जा रहा है। अवशेष धनराशि रू0 100.00 की यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में आवश्यकता नहीं है। शासनादेश सं0-4/2019/175/77-3-19-06बजट/16, दिनांक 07.02.2019 द्वारा रू0 55.00 करोड एवं शासनादेश सं0-7/2019/333/77-3-19-06बजट/16, दिनांक 01.03.2019 द्वारा रू0 15.00 करोड के व्यय की अनुमति दी गई है। अतः यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में से अवशेष धनराशि रू0 30.00 करोड में से रू0 10.00 करोड जनपद गाजीपुर को भूमि क्रय मद में व्यय करने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यूटीलिटी शिफ्टिंग मद में से रू0 10.00 करोड की धनराशि जिलाधिकारी गाजीपुर को भूमि क्रय के मद में व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि आहरित करके संबंधित जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाये। अतः जिलाधिकारी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लेंगे।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उपर्युक्त प्रस्तर-3 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 10.00 करोड़ (रूपये दस करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

अनिल कुमार
उप सचिव

संख्या-13/2019/635(1)/77-3-2019, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी, गाजीपुर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ एवं गाजीपुर।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।